रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102022-239947
CG-DL-E-31102022-239947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944
No. 708] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 795(अ) .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) और उसके काडर इकाई समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004; वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) आकड़ा प्रबंध निदेशालय, समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004; वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 2004; राजस्व आसूचना निदेशालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004; प्रकाशन निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1988; और केंद्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ कर सहायक (समूह 'ग'), उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-I (समूह 'ग') और उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-II (समूह 'ग') के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रण के अधीन निदेशालयों में कार्यपालक सहायक (समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय कार्यपालक सहायक (समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष उपबंध – (1) प्रदर्शन प्रबंध, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय दिल्ली निम्नलिखित निदेशालयों के लिए सभी समूह-ख और समूह ग पदों (राजपत्रित और अराजपत्रित) के लिए काडर नियंत्रक प्राधिकरण होगा, अर्थात :

(i) प्रदर्शन प्रबंध महानिदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय

(iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

(iv) संभार तंत्र निदेशालय

(v) करदाता सेवा महानिदेशालय

(vi) प्रणाली और आकड़ा प्रबंध महानिदेशालय

(vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

(viii) सतर्कता महानिदेशालय

(ix) मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय

(x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(xi) लेखापरीक्षा महानिदेशालय

(xii) विधि कार्य निदेशालय

(xiii) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xiv) मुख्य आयुक्त (ए आर), सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सी ई एस टी ए टी)

(xv) विश्लेषण और जोखिम प्रबंध महानिदेशालय

(xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय

(xvii) अंतरराष्ट्रीय सीमा-शुल्क निदेशालय

(xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय

(2) समूह 'ख' और समूह 'ग' की श्रेणी में सभी दर्ज किए गए निदेशालय पदों की परस्पर ज्येष्ठता केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार एकीकृत किया जाएगा ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडें वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यपालक सहायक (निदेशालय)।	177* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400 – 1,12,400 रू.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500 – 81,100 रू.) में के ऐसे कर सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण:** यदि कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में अपनी विहित अर्हक सेवा अवधि पूरी कर लेने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां श्रेणी में उनसे जयेष्ठ सभी व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने विहित अर्हक सेवा अवधि पूरी नहीं की है परन्तु विहित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अपर महानिदेशक - अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक - सदस्य (iii) संयुक्त निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/7/2016-प्रशा. III बी]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

G.S.R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of the Inspection (Customs and CentralExcise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; the Directorate of Data Management, Ministry of Finance (Department of Revenue), Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; the Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004; the Directorate of Revenue Intelligence andthe Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004, the Directorate of Publications (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988; and the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" and Group "D" Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Senior Tax Assistant (Group 'C'), Deputy Office Superintendent Level-I (Group 'C') and Deputy Office Superintendent Level-II (Group 'C') except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Executive Assistant (Group 'B', Non Gazetted, Ministerial Posts) in the Directorates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Central Board ofIndirect Taxes and Customs Directorates Executive Assistant (Group 'B', Non Gazetted, Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Special Provision**. -(1) Directorate General of Performance Management, Customs and Central Excise, Delhi will be the Cadre Controlling Authority for all Group 'B' and Group 'C' posts (Gazetted and Non-Gazetted) for the following Directorates, namely:

(i) Directorate General of Performance Management

(ii) Directorate General of Revenue Intelligence

(iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence

(iv) Directorate of Logistics

(v) Directorate General of Tax Payer Services

(vi) Directorate General of Systems & Data Management

(vii) Central Revenue Control Laboratory

(viii) Directorate General of Vigilance

(ix) Directorate General of Anti-Profiteering

(x) Directorate General of Export Promotion

(xi) Directorate General of Audit

(xii) Directorate of Legal Affairs

(xiii) Directorate General of Human Resource Development

(xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise and ServiceTax Appellate Tribunal (CESTAT)

(xv) Directorate General of Analytics and Risk Management

(xvi) Directorate General of Valuation

(xvii) Directorate of International Customs

(xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorates posts in the grade of Group 'B' and Group 'C' shall be integrated as per the guidelines issued by the Central Government.

3. **Number of posts, classification, level in pay matrix**. —The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** — No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name ofpost.	**Numberof Post.**	**Classification.**	**Level in thePay Matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Executive Assistant (Directorates) .	177* (2022) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay level 6 (Rs. 35,400- 1,12,400) in the Pay Matrix.

Whether Selection Post or non-selectionPost.	**Age Iimit for Direct Recruits.**	**Educational and other qualifications required forDirect Recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection .	Not applicable.	Not applicable.

Whether age andeducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	**Period of probation if any.**
(8)	**(9)**
Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.**
(10)	**(11)**
100% by promotion.	**Promotion:** Tax Assistants in pay level 4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix with 10 (ten) years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by the Competent Authority from time to time.

	NOTE: If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion and Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of: The Additional Director General – Chairman; The Additional Director – Member; The Joint Director – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/7/2016-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.31 19:14:28 +05'30'